बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(गव्य विकास निदेशालय)

पशुधन द्वारा

जीवन में गुणात्मक सुधार

समग्र भैंस पालन योजना

(वित्तीय वर्ष 2025–26)

01 एवं 02 उन्नत नस्ल के दुधारू भैंस की डेयरी इकाई के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 75% तथा अन्य सभी वर्गों के लिए 50% अनुदान की योजना

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, गव्य विकास निदेशालय, बिहार सरकार

Website: https://state.bihar.gov.in/ahd I https://dairy.bihar.gov.in

Email: directordairy@gmail.com

Phone : 94710 07445 I Toll Free : 1800 345 6681

@BiharAFRD

श्रीमती रेणु देवी

माननीय मंत्री

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

बिहार सरकार

संदेश

राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ी करण में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार सृजन में गव्य विकास कार्यक्रमों की अहम भूमिका है। राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य में पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत भैंस के सम्वर्द्धन एवं संरक्षण हेतु कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में गव्य विकास निदेशालय द्वारा ''समग्र भैंस पालन योजना'' के माध्यम से राज्य में भैंसों के सम्वर्द्धन हेतु राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/पशुपालकों/बेरोजगार युवक–युवतियों को भैंस (मुर्राह,भदावरी एवं जाफराबादी) उपलब्ध कराकर राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि एवं पशुपालकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने के साथ–साथ भैंसों की संख्या में वृद्धि करना है।

समग्र भैंस पालन योजना के माध्यम से राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/पशुपालकों/बेरोजगार युवक–युवतियों को वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में 01 एवं 02 दुधारू भैंस की डेयरी इकाई स्थापित करने पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभूकों को 75 प्रतिशत तथा शेष वर्गों के लाभुकों को 50 प्रतिशत अनुदान देकर प्रोत्साहित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इससे ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार का सृजन करने के साथ–साथ पौष्टिक आहार के रूप में दूध एवं दुग्ध जन्य उत्पाद की उपलब्धता को पूरा किया जायेगा।

सभी वर्गों की आम जनता से अनुरोध है कि समग्र भैंस पालन योजना के तहत अपने मनोनुकूल भैंस की डेयरी इकाई स्थापित करें एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान का लाभ उठायें तथा अपने एवं राज्य के विकास में योगदान के साथ–साथ भैंस पालन को प्रोत्साहित करें।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि समग्र भैंस पालन योजना राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/पशुपलकों/बेरोजगार युवक–युवतियों को स्वरोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने एवं उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल करने में सफल होगा। साथ ही आम जनों को उच्च गुणवत्ता के पौष्टिक दुग्ध उपलब्ध हो सकेगा।

(रेणु देवी)

डॉ. एन. विजयलक्ष्मी, भा.प्र.से.
अपर मुख्य सचिव
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
बिहार सरकार

बिहार सरकार

संदेश

बिहार राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशु पालन का योगदान सराहनीय है, जिसको सुदृढ़ करन` हेतु पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (गव्य विकास) अन्तर्गत कई विकासोन्मुखी योजना संचालित की जाती है। विभाग द्वारा गव्य विकास निदेशालय के माध्यम से राज्य में भैंसों की संख्या में वृद्धि कर दुग्ध की उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु समग्र भैंस पालन योजना के तहत सभी वर्गों के भूमिहीन/कृषकों/लघुकृषक/शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को बड़ी संख्या में भैंस (मुर्राह,भदावरी एवं जाफराबादी) की डेयरी इकाई स्थापित करन` पर विभाग द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में 01 एवं 02 दुधारू भैंस की डेयरी इकाई स्थापित करने पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभूकों को 75 प्रतिशत तथा शेष वर्गों के लाभूकों को 50 प्रतिशत अनुदान दके र प्रोत्साहित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है।

विगत वर्षों में डेयरी प्रक्षेत्र की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन से राज्य में दूध उत्पादन में वृद्धि हुई है, परन्तु पौष्टिक आहार के रूप में दद्ू ा एवं अन्य दुग्ध उत्पाद की उपलब्धता को पूरा करने के लिये समग्र भैंस पालन योजना मील का पत्थर साबित होगा।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि समग्र भैंस पालन योजना से राज्य में पौष्टिक दूध उत्पादन में वृद्धि होगी तथा डेयरी प्रक्षेत्र के कृषकों के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान होंगे।

(डॉ. एन. विजयलक्ष्मी)

वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत राज्य स्कीम के तहत समग्र भैंस पालन योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्ग निर्देशिका

मार्ग निर्देशिका

1. **योजना का नाम :** समग्र भैंस पालन योजना

2. **योजना का उद्देश्य :** इस योजना का मख्ु य उद्देश्य राज्य में भैंस के सम्वर्द्धन हेतु राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/पशुपालकों/बेरोजगार युवक–युवतियों के लिए स्व–रोजगार के अवसर सृजित कर उन्हें विकास के मुख्यधारा में शामिल करना है ताकि उनका आर्थिक एवं सामाजिक रूप से उत्थान हो सके एवं राज्य के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकें।

   इस योजना के अन्तर्गत भैंस के 01 एवं 02 भैंस (मुर्राह, भदावरी एवं जाफराबादी) की डेयरी इकाई की स्थापना पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 75 प्रतिशत एवं अन्य सभी वर्गों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है।

3. **कार्यक्षेत्र :** राज्य के सभी जिले में।

4. **पात्रता :** राज्य के सभी वर्गों के भूमिहीन/कृषकों/लघु कृषक/सीमांत कृषक/गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले कृषक/शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को शामिल किया जायेगा।

5. **योजना का क्रियान्वयन :** योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जायेगा।

6. इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी/सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस योजना में आवेदन पत्र गव्य विकास निदेशालय के वेबसाईट dairy.bihar.gov.in पर भरे जायेंगे।

7. इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों को जिला स्तर पर संबंधित जिला के जिला अग्रणी बैंक पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा की जायगी, जिसके सदस्य निम्न होंगे :

   - जिला गव्य विकास पदाधिकारी/सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी–सदस्य सचिव
   - उद्योग विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी – सदस्य

8. स्क्रीनिंग समिति की बैठक जिला स्तर पर आयोजित की जायेगी, जिसमें क्रियान्वयन एजेंसियों से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा/जाँच कर आवेदक के साक्षात्कार में ऋण आवेदन को स्वीकृति से संबंधित निर्णय लिया जायेगा एवं स्वीकृत योग्य ऋण आवेदनों को अनुशंसा के साथ संबंधित बैंक को अग्रसारित किया जायेगा। ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक का यह दायित्त्व होगा कि अनुशंसित आवेदनों पर एक माह के अन्दर निर्णय लेते हुए आवेदक एवं संबंधित जिला के अग्रणी बैंक तथा जिला गव्य विकास कार्यालय को सूची के साथ सूचना उपलब्ध करायेंगे।

9. लाभूकों द्वारा स्वीकृत डेयरी इकाई अन्तर्गत भैंस का क्रय अधिकृत पशु आपूर्तिकर्त्ता/राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, डेयरी सर्विस द्वारा राज्य के बाहर से लाये गये भैंस में से गठित क्रय समिति के समक्ष किया जायेगा। पशुपालक राज्य के बाहर से भी पशु का क्रय कर सकते हैं।

10. दुधारू मवेशियों का क्रय, क्रय समिति के समक्ष किया जायेगा। क्रय समिति में संबंधित बैंक के प्रबंधक या उनके प्रतिनिधि, जिला गव्य विकास पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि, संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि पशु चिकित्सक एवं बीमा पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि होंगे।

11. योजना अंतर्गत किसी भी इकाई की स्थापना अथवा क्रय परियोजना अंतगर्त निर्धारित लागत व्यय से अधिक होने पर भी अनुदान का भुगतान परियोजना शर्त्त के आधार पर ही किया जायेगा। अतिरिक्त व्यय होने वाली राशि का वहन लाभूकों को स्वयं करना होगा। लाभूकों द्वारा किसी भी इकाई की स्थापना अथवा क्रय परियोजना अंतर्गत आंशिक रूप में किये जाने की स्थिति में अनुदान का भुगतान भी अनुपातिक रूप से किया जायेगा। साथ ही अनुदान का वितरण Back ended होगी एवं पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा।

12. लाभूकों को बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के पश्चात् मवेशी क्रय (Asset creation) के बाद निर्धारित नियम के अनुसार सब्सिडी की राशि विमुक्त करने हेतु दावा विपत्र आवेदक के ऋण खाता संख्या एवं उसके खाते में Disburse की गई राशि अंकित करते हुए संबंधित जिला के क्रियान्वयन एजेंसी को अन्य कागजात के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, ताकि संबंधित जिले के क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा जाँचोपरांत प्रमाण–पत्र अंकित करते हुए अनुदान विमुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

13. इस योजना के तहत आवेदकों का चयन में (i) विभाग द्वारा प्रशिक्षित आवेदकों (ii) दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के सदस्यों एवं (iii) जीविका के स्वयं सहायता समूहों से जुड़े व्यक्तियों को क्रमानुसार प्राथमिकता दी जायेगी।

14. इस योजना के आवेदकों की उम्र 18–55 वर्ष के बीच मे होना चाहिए।

15. इस योजना के तहत निर्धारित अनुदान लाभूकों को दोनों स्थिति में देय होगा। यदि लाभूक बैंक से ऋण ले अथवा स्वलागत से क्रय करें। स्वलागत से डेयरी इकाई की स्थापना करने वाले लाभूकों को योजना लागत की पूर्ण राशि उपलब्ध होने संबंधी प्रमाण संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी यथा जिला गव्य विकास पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करना होगा। योजना के पूर्ण क्रियान्वयन (Asset creation) के पश्चात् ही अनुदान की राशि का भुगतान किया जायेगा। पशु क्रय के समय लाभूक एवं क्रय समिति के सदस्यों का एक संयुक्त फोटाग्राफी किया जायेगा। दुधारू मवेशी के क्रय के समय मवेशी का डाटा ईयर टैग निश्चित रूप से लगाना होगा तथा जिला गव्य विकास पदाधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि मवेशी में ईयर टैग लगा दिया गया है।

16. स्वलागत में दुधारू पशु का क्रय एक ही बार अथवा फेजबार (दो बार) करने के लिए लाभुक स्वयं स्वतंत्र होंगे। साथ ही साथ बैंक से स्वीकृत योजना में भी लाभूकों को स्वतंत्र अधिकार होगा कि वे एकबार में पूरी योजना का लाभ लेंगे अथवा किस्तबार (दो बार)।

17. लाभूकों द्वारा योजना का संवर्द्धन कम से कम तीन वर्षों तक करना होगा यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उपलब्ध करायी गयी विभागीय अनुदान की राशि एक मुश्त वापस करने की कार्रवाई की जायेगी।

18. डेयरी इकाई की स्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्य के पूर्ण हो जाने के उपरान्त न तो डेयरी इकाई स्थापित की जायेगी और न ही लाभूकों/बैंक द्वारा अनुदान का दावा मान्य होगा। बैंक से प्राप्त दावा विपत्र के आलोक में लाभूकों को अनुदान का लाभ पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जायेगा।

निदेशक
गव्य विकास निदेशालय
बिहार, पटना

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

वित्तीय वर्ष 2025–26 में समग्र भैंस पालन योजना अन्तर्गत सभी वर्ग के लिए 50% अनुदान तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 75% अनुदान पर 01 एवं 02 दुधारू भैंस की डेयरी इकाई के स्थापना हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि रू0 में)

क्र.	जिला	01 दुधारू भैंस				02 दुधारू भैंस				कुल	
		सामान्य वर्ग		अत्यंत पिछड़ा वर्ग		सामान्य वर्ग		अत्यंत पिछड़ा वर्ग			
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	औरंगाबाद	16	968000	3	272250	12	1452000	2	363000	33	3055250
2	रोहतास	16	968000	3	272250	10	1210000	2	363000	31	2813250
3	कैमूर	16	968000	3	272250	12	1452000	2	363000	33	3055250
4	अररिया	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
5	अरवल	13	786500	3	272250	10	1210000	1	181500	27	2450250
6	जहानाबाद	14	847000	3	272250	10	1210000	1	181500	28	2510750
7	बांका	14	847000	3	272250	10	1210000	2	363000	29	2692250
8	भागलपुर	15	907500	3	272250	12	1452000	2	363000	32	2994750
9	गोपालगंज	14	847000	3	272250	10	1210000	2	363000	29	2692250
10	पूर्वी चम्पारण	14	847000	3	272250	10	1210000	2	363000	29	2692250
11	प0 चम्पारण	25	1512500	7	635250	20	2420000	2	363000	54	4930750
12	जमुई	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
13	किशनगंज	14	847000	3	272250	10	1210000	2	363000	29	2692250
14	कटिहार	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
15	लखीसराय	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
16	बेगूसराय	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
17	मधुबनी	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
18	दरभंगा	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
19	समस्तीपुर	15	907500	4	363000	10	1210000	2	363000	31	2843500
20	मधेपुरा	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
21	सहरसा	14	847000	3	272250	10	1210000	2	363000	29	2692250
22	मुंगेर	15	907500	3	272250	10	1210000	1	181500	29	2571250
23	खगड़िया	14	847000	3	272250	10	1210000	1	181500	28	2510750
24	नालन्दा	25	1512500	7	635250	20	2420000	2	363000	54	4930750
25	नवादा	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
26	गया	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
27	पूर्णिया	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
28	पटना	25	1512500	7	635250	20	2420000	2	363000	54	4930750
29	भोजपुर	15	907500	3	272250	11	1331000	2	363000	31	2873750
30	बक्सर	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
31	शेखपुरा	13	786500	3	272250	10	1210000	1	181500	27	2450250
32	सीतामढ़ी	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
33	शिवहर	13	786500	3	272250	10	1210000	1	181500	27	2450250
34	मुजफ्फरपुर	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
35	सुपौल	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
36	सारण	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
37	वैशाली	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
38	सीवान	15	907500	3	272250	10	1210000	2	363000	30	2752750
	कुल	**590**	**35695000**	**127**	**11525250**	**417**	**50457000**	**70**	**12705000**	**1204**	**110382250**

(रूपये ग्यारह करोड़ तीन लाख बेरासी हजार दो सौ पचास) मात्र

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

वित्तीय वर्ष 2025–26 में समग्र भैंस पालन योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 75% अनुदान पर 01 एवं 02 दुधारू भैंस की डेयरी इकाई हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि रू0 में)

क्र.	जिला	अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति		कुल	
		01 भैंस		02 भैंस		01 भैंस			
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	औरंगाबाद	5	453750	4	726000	0	0	9	1179750
2	रोहतास	5	453750	2	363000	4	363000	11	1179750
3	कैमूर	4	363000	4	726000	4	363000	12	1452000
4	अररिया	5	453750	2	363000	4	363000	11	1179750
5	अरवल	4	363000	2	363000	0	0	6	726000
6	जहानाबाद	4	363000	2	363000	0	0	6	726000
7	बांका	4	363000	2	363000	4	363000	10	1089000
8	भागलपुर	4	363000	4	726000	6	544500	14	1633500
9	गोपालगंज	4	363000	2	363000	3	272250	9	998250
10	पूर्वी चम्पारण	4	363000	4	726000	0	0	8	1089000
11	प0 चम्पारण	7	635250	4	726000	6	544500	17	1905750
12	जमुई	4	363000	2	363000	5	453750	11	1179750
13	किशनगंज	4	363000	2	363000	4	363000	10	1089000
14	कटिहार	4	363000	2	363000	5	453750	11	1179750
15	लखीसराय	4	363000	2	363000	0	0	6	726000
16	बेगूसराय	4	363000	2	363000	0	0	6	726000
17	मधुबनी	4	363000	2	363000	0	0	6	726000
18	दरभंगा	4	363000	2	363000	0	0	6	726000
19	समस्तीपुर	4	363000	2	363000	0	0	6	726000
20	मधेपुरा	4	363000	3	544500	4	363000	11	1270500
21	सहरसा	4	363000	2	363000	4	363000	10	1089000
22	मुंगेर	4	363000	2	363000	4	363000	10	1089000
23	खगड़िया	4	363000	2	363000	0	0	6	726000
24	नालन्दा	8	726000	4	726000	0	0	12	1452000
25	नवादा	4	363000	2	363000	0	0	6	726000
26	गया	4	363000	2	363000	0	0	6	726000
27	पूर्णिया	5	453750	2	363000	4	363000	11	1179750
28	पटना	8	726000	4	726000	0	0	12	1452000
29	भोजपुर	4	363000	2	363000	4	363000	10	1089000
30	बक्सर	4	363000	2	363000	3	272250	9	998250
31	शेखपुरा	4	363000	2	363000	0	0	6	726000
32	सीतामढ़ी	4	363000	2	363000	0	0	6	726000
33	शिवहर	4	363000	2	363000	0	0	6	726000
34	मुजफ्फरपुर	4	363000	2	363000	0	0	6	726000
35	सुपौल	4	363000	3	544500	4	363000	11	1270500
36	सारण	4	363000	2	363000	4	363000	10	1089000
37	वैशाली	5	453750	2	363000	0	0	7	816750
38	सीवान	5	453750	2	363000	4	363000	11	1179750
कुल		**169**	**15336750**	**92**	**16698000**	**80**	**7260000**	**341**	**39294750**

(रूपये तीन करोड़ बेरानवे लाख चौरानवे हजार सात सौ पचास) मात्र

एनेक्सचर–1

प्रोजेक्ट–रिपोर्ट (2025–26)

समग्र भैंस पालन योजना

01 भैंस (मुर्राह, भदावरी एवं जाफराबादी) योजना की आर्थिक रूप–रेखा

1	**आधारभूत मान्यताएँ:**	उन्नत नस्ल की प्रत्येक भैंस, वियान के पश्चात् 300 दिनों की अवधि में 2400 लीटर दूध देगी। प्रत्येक भैंस 65 दिन की विसुखी अवधि में रहेगी। प्रथम या द्वितीय वियान की भैंस का ही क्रय किया जायेगा।	
2	**तकनिकी मापदण्ड:**		
	– एक इकाई में कुल भैंस की संख्या–		1
	– प्रत्येक भैंस का प्रतिदिन औसत दूध उत्पादन–		8 लीटर
3	**प्रति भैंस प्रतिदिन चारा की आवश्यकता:**		
	(1) दूध देने की अवधि में–	हरा चारा –	20 कि. ग्रा.
		सुखा चारा–	5 कि. ग्रा.
		संतुलित पशु आहार–	5 कि. ग्रा.
	(2) विसुखी अवधि में–	हरा चारा –	15 कि. ग्रा.
		सुखा चारा–	7 कि. ग्रा.
		संतुलित पशु आहार–	1 कि. ग्रा.
4	**वित्तीय गणना:**		
	एक भैंस की कीमत		रू. 1,00,000/–
	प्रति लीटर दूध की बिक्री का मूल्य		रू. 65/–
	संतुलित पशु आहार का कीमत प्रति कि0 ग्रा0		रू. 24/–
	हरा–चारा का मूल्य प्रति कि0 ग्रा0		रू. 5/–
	सूखा–चारा का मूल्य प्रति कि0 ग्रा0		रू. 7/–
	रख–रखाव एवं पशु चिकित्सा पर व्यय (प्रति वर्ष) प्रति इकाई		रू. 3000/–
	प्रति गनी बैग बिक्री से आय		रू. 20/–
	प्रति वर्ष गोबर की बिक्री से आय (प्रति मवेशी)		रू. 3000/–

योजना की रूप रेखा प्रति इकाई 01 भैंस (मुर्राह, भदावरी एवं जाफराबादी)

(I) **पूँजीगत खर्च:**

1.	भैंस–01	2000–2400 लीटर दूध देने की क्षमता (1 X 1,00,000) परिवहन सहित।	1,00,000/–
2.	पशु बीमा (ट्रांजिट बीमा सहित)	क्रय मूल्य का 6% की दर से ₹1,00,000 X 6%	6,000/–
3.	पशुशाला निर्माण एवं अन्य व्यय		15,000/–
		कुल राशि	1,21,000/–

एक इकाई की स्थापना पर व्यय की रूप–रेखा

क्र.	विवरण	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनु. जाति/जनजाति	शेष वर्गों के लिए
1.	योजना पर कुल लागत व्यय	₹ 1,21,000/–	₹ 1,21,000/–
2.	लाभूक का अंशदान	₹ 6,050/– (5%)	₹ 12,100/– (10%)
3.	बैंक ऋण	₹ 1,14,950/– (95%)	₹ 1,08,900/– (90%)
4.	राज्य सरकार द्वारा अनुदान- (Back Ended)	₹ 90,750/– (75%)	₹ 60,500/– (50%)

(II) **प्रति वर्ष चारा एवं दाना की आवश्यकता हेतु पशुओं की व्यस्क इकाईयों का आकलन निम्न प्रकार है:**

क्र.	पशु का विवरण	संख्या	व्यस्क इकाई
1.	दुधारू भैंस	1	1
2.	पाड़ा एवं पाड़ी	1	0.5
	कुल:	2	1.5

(III) **एक वर्ष में सुखा चारा, हरा चारा एवं संतुलित पशु आहार (दाना) की आवश्यकता एवं उसका मूल्य:**

क्र.	मात्रा	दर (रु.)	मूल्य (रु.)
1	(क) सूखा चारा 05 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए (5 X 1.5X 300) = 22.5 क्विंटल (ख) सूखा चारा 07 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए (7 X 1.5X 65) = 6.82 क्विंटल (क+ख) = 29.32 क्विंटल, अर्थात् 29.5 क्विंटल	प्रति क्विंटल रू. 700/–	20,650/–
2	(क) हरा चारा 20 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए (20 X 1.5X 300)= 90 क्विंटल (ख) हरा चारा 15 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए (15 X 1.5X 65)= 14.62 क्विंटल (क+ख) = 104.62 क्विंटल, अर्थात् 105 क्विंटल	प्रति क्विंटल रू. 500/–	52,500/-
3	संतुलित पशु आहार (क) दूध देने की अवधि में प्रति पशु 05 कि. ग्रा. प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 300 दिनों के लिए (5 x 1 x 300)= 15 क्विंटल (ख) विसुखी अवधि में प्रति पशु 01 कि. ग्रा. प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 65 दिनों के लिए (1 X 1 X 65)= 0.65 क्विंटल (ग) प्रति पाड़ा 0.50 कि. ग्रा. प्रतिदिन की दर से पूरे वर्ष (0.5 X 1 X 365) = 1.82 क्विंटल कुल संतुलित पशु आहार (क+ख+ग) = 17.47 क्विंटल, अर्थात् 17.5 क्विंटल	प्रति क्विंटल रू. 2,400/–	42,000/-
		कुल योगः (1+2+3)	**1,15,150/-**

(IV) **मूल्य ह्रास एवं सूद :**

(क)	भैंस पर 12 प्रतिशत की दर से (1,00,000 x 12%)	12,000/-
(ख)	बैंक ऋण पर सूद 11 प्रतिशत की दर से	
	(अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति 24,200 x 11%)	2,662/-
	(शेष वर्गों के लिए 48,400 x 11%)	5,324/-
	कुल योग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति):	**14,662/-**
	कुल योग (शेष वर्गों के लिए):	**17,324/-**

(V) **आय एवं व्यय :**

(1) **आय :**

(क)	कुल उत्पादित दूध 2,400 ली. का मूल्य, रू. 65/– प्रति लीटर की दर से 70 x 2400 ली.	1,56,000/-
(ख)	1 पाड़ी की बिक्री रू. 30,000/– प्रति पाड़ी की दर से	30,000/-
(ग)	गनी बैग की बिक्री (35 x 20)	700/-
(घ)	गोबर की बिक्री से	3,000/-
	कुल योग :	**1,89,700/-**

(1) **व्यय :**

(क)	चारा एवं दाना पर व्यय	1,15,150/-
(ख)	पशु बीमा पर खर्च (6%) प्रतिवर्ष	6,000/-
(ग)	रख–रखाव एवं पशु चिकित्सा पर खर्च प्रतिवर्ष	1,500/-
	कुल योग :	**1,22,650/-**

लाभ	=	(आय – व्यय) = रू. (1,89,700 - 1,22,650) = रू.67,050/-
विशुद्ध लाभ	=	(लाभ – मूल्य ह्रास एवं सूद)
अ.पि.व./अनु. जाति/जनजाति	=	रू.(67,050 - 14,662) = रू. 52,388/-
शेष वर्गों के लिए	=	रू.(67,050 - 17,324) = रू. 49,726/-

इस प्रकार एक भैंस की एक इकाई स्थापित करने पर एक वर्ष में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए रू. 52,388/– एवं शेष वर्गों के लिए रू. 49,726/– का विशुद्ध लाभ होगा।

जिला गव्य विकास पदाधिकारी
का नाम एवं पदनाम सहित मुहर

एनेक्सचर–2

02 भैंस (मुर्राह, भदावरी एवं जाफराबादी) की आर्थिक रूप–रेखा

1	**आधारभूत मान्यताएँ:**	उन्नत नस्ल की प्रत्येक भैंस, वियान के पश्चात् 300 दिनों की अवधि में 2400 लीटर दूध देगी। प्रत्येक भैंस 65 दिन की विसुखी अवधि में रहेगी। प्रथम या द्वितीय वियान की भैंस का ही क्रय किया जायेगा।	
2	**तकनिकी मापदण्ड:**		
	– एक इकाई में कुल भैंस की संख्या–		2
	– प्रत्येक भैंस का प्रतिदिन औसत दूध उत्पादन–		8 लीटर
3	**प्रति भैंस प्रतिदिन चारा की आवश्यकता:**		
	(1) दूध देने की अवधि में–	हरा चारा –	20 कि. ग्रा.
		सुखा चारा–	5 कि. ग्रा.
		संतुलित पशु आहार–	5 कि. ग्रा.
	(2) विसुखी अवधि में–	हरा चारा –	15 कि. ग्रा.
		सुखा चारा–	7 कि. ग्रा.
		संतुलित पशु आहार–	1 कि. ग्रा.
4	**वित्तीय गणना:**		
	एक भैंस की कीमत		रू. 1,00,000/–
	प्रति लीटर दूध की बिक्री का मूल्य		रू. 65/–
	संतुलित पशु आहार का कीमत प्रति कि0 ग्रा0		रू. 24/–
	हरा–चारा का मूल्य प्रति कि0 ग्रा0		रू. 5/–
	सूखा–चारा का मूल्य प्रति कि0 ग्रा0		रू. 7/–
	रख–रखाव एवं पशु चिकित्सा पर व्यय (प्रति वर्ष) प्रति इकाई		रू. 3000/–
	प्रति गनी बैग बिक्री से आय		रू. 20/–
	प्रति वर्ष गोबर की बिक्री से आय (प्रति मवेशी)		रू. 3000/–

योजना की रूप रेखा प्रति इकाई 02 भैंस (मुर्राह, भदावरी एवं जाफराबादी)

(I) **पूँजीगत खर्च:**

1.	भैंस–02	2000–2400 लीटर दूध देने की क्षमता (2 X 1,00,000) परिवहन सहित।	2,00,000/–
2.	पशु बीमा (ट्रांजिट बीमा सहित)	क्रय मूल्य का 6% की दर से ₹1,00,000 X 6%	12,000/–
3.	पशुशाला निर्माण		30,000/–
		कुल राशि	2,42,000/–

एक इकाई की स्थापना पर व्यय की रूप–रेखा

क्र.	विवरण	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनु. जाति/जनजाति	शेष वर्गों के लिए
1.	योजना पर कुल लागत व्यय (शेड सहित)	₹ 2,42,000 / –	₹ 2,42,000 / –
2.	लाभूक का अंशदान	₹ 12,100 / – (5%)	₹ 24,200 / – (10%)
3.	बैंक ऋण	₹ 2,29,900 / – (95%)	₹ 2,17,800 / – (90%)
4.	राज्य सरकार द्वारा अनुदान- (Back Ended)	₹ 1,81,500 / – (75%)	₹ 1,21,000 / – (50%)

(II) **प्रति वर्ष चारा एवं दाना की आवश्यकता हेतु पशुओं की व्यस्क इकाईयों का आकलन निम्न प्रकार है:**

क्र.	पशु का विवरण	संख्या	व्यस्क इकाई
1.	दुधारू भैंस	2	2
2.	पाड़ा एवं पाड़ी	2	1
	कुलः	4	3

(III) **एक वर्ष में सुखा चारा, हरा चारा एवं संतुलित पशु आहार (दाना) की आवश्यकता एवं उसका मूल्य:**

क्र.	मात्रा	दर (रु.)	मूल्य (रु.)
1	(क) सूखा चारा 05 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए (5 X 3X 300) = 45 क्विंटल (ख) सूखा चारा 07 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए (7 X 3 X 65) = 13.65 क्विंटल (क+ख) = 58.65 क्विंटल, अर्थात् 59 क्विंटल	प्रति क्विंटल रू. 700 / –	41,300 / –
2	(क) हरा चारा 20 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए (20 X 3 X 300)= 180 क्विंटल (ख) हरा चारा 15 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए (15 X 3 X 65)= 29.25 क्विंटल (क+ख) = 209.25 क्विंटल, अर्थात् 209 क्विंटल	प्रति क्विंटल रू. 500 / –	1,04,500/-
3	संतुलित पशु आहार (क) दूध देने की अवधि में प्रति पशु 05 कि. ग्रा. प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 300 दिनों के लिए (5 x 2 x 300)= 30 क्विंटल (ख) विसुखी अवधि में प्रति पशु 01 कि. ग्रा. प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 65 दिनों के लिए (1 X 2 X 65)= 1.30 क्विंटल (ग) प्रति पाड़ा 0.50 कि. ग्रा. प्रतिदिन की दर से पूरे वर्ष (0.5 X 2 X 365) = 3.65 क्विंटल कुल संतुलित पशु आहार (क+ख+ग) = 34.95 क्विंटल, अर्थात् 35 क्विंटल	प्रति क्विंटल रू. 2,400 / –	84,000/-
		कुल योगः (1+2+3)	**2,29,800/-**

(IV) **मूल्य ह्रास एवं सूद :**

(क)	भैंस पर 12 प्रतिशत की दर से (2,00,000 x 12%)	24,000/-
(ख)	बैंक ऋण पर सूद 11 प्रतिशत की दर से	
	(अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति 48,400 x 11%)	5,324/-
	(शेष वर्गों के लिए 96,800 x 11%)	10,648/-
	कुल योग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति):	**29,324/-**
	कुल योग (शेष वर्गों के लिए):	**34,648/-**

(V) **आय एवं व्यय :**

(1) **आय :**

(क)	कुल उत्पादित दूध 4,800 ली. का मूल्य, रू. 65/– प्रति लीटर की दर से	3,12,000/-
(ख)	1 पाड़ी की बिक्री रू. 30,000/– प्रति पाड़ी की दर से	30,000/-
(ग)	1 पाड़ी की बिक्री रू. 15,000/– प्रति पाड़ी की दर से	15,000/-
(ग)	गनी बैग की बिक्री (70 x 20)	1,400/-
(घ)	गोबर की बिक्री से (3000 x 2)	6,000/-
	कुल योग :	**3,64,400/-**

(1) **व्यय :**

(क)	चारा एवं दाना पर व्यय	2,29,800/-
(ख)	पशु बीमा पर खर्च (6%) प्रतिवर्ष	12,000/-
(ग)	रख–रखाव एवं पशु चिकित्सा पर खर्च प्रतिवर्ष	3,000/-
	कुल योग :	**3,64,400/-**

लाभ	=	(आय – व्यय) = रू. (3,64,400 - 2,44,800) = रू.1,19,600/-
विशुद्ध लाभ	=	(लाभ – मूल्य ह्रास एवं सूद)
अ.पि.व./अनु. जाति/जनजाति	=	रू.(1,19,600 - 29,324) = रू. 90,276/-
शेष वर्गों के लिए	=	रू.(1,19,600 - 34,648) = रू. 84,952/-

इस प्रकार दो भैंस की एक इकाई स्थापित करने पर एक वर्ष में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए रू. 90,276/– एवं शेष वर्गो के लिए रू. 84,952/– का विशुद्ध लाभ होगा।

जिला गव्य विकास पदाधिकारी
का नाम एवं पदनाम सहित मुहर

समग्र भैंस पालन योजना अंतर्गत अनुदान राशि निर्गत करने हेतु दावा विपत्र

बैंक एवं शाखा का नाम तथा पताः ...., पत्र/दावा विपत्र संख्याः ...., दिनांकः ....

मो0/दूरभाष संख्या : ....

सेवा में,

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,...

विषयः.. इकाई की स्थापना हेतु अनुदान राशि निर्गत करने के लिए दावा विपत्र के संबंध में।

1	उद्यमकर्त्ता का नाम–		
2	उद्यमकर्त्ता का पूर्ण पता–	ग्राम : .... पोस्ट : .... थाना : .... प्रखण्ड : .... जिला : .... पिनकोड : मो0/दूरभाष संख्या–	
3	कोटि–	सामान्य ☐ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग ☐ अनु. जाति ☐ अनु. जनजाति ☐	
4	स्थापित परियोजना का नाम एवं स्थापित ईकाई का आकार–		
5	परियोजना स्थापित करने के स्थान का नाम एवं पता–	ग्राम : .... पोस्ट : .... थाना : .... प्रखण्ड : .... जिला : .... पिनकोड :	
6	IFSC कोड के साथ अनुदान प्राप्ति हेतु बैंक का खाता संख्या	बैंक खाता संख्या– IFSC कोड–	
7	परियोजना पर कुल लागत व्यय–	रू0	
8	परियोजना हेतु कुल स्वीकृत ऋण एवं ब्याज दर–	रू0	ब्याज दर–
9	स्वीकृत ऋण का खाता संख्या एवं तिथि–	खाता सं0–	तिथि–
10	लाभूक द्वारा वहन किया गया मार्जिन मनी–	रू0	तिथि–
11	ऋण खाता में अब तक विमुक्त राशि –	रू0	
12	लाभूक द्वारा वहन किया जाने वाला EMI –	रू0	
13	नियमानुसार परियोजना हेतु अनुदान राशि का दावा–		
	(i) भैंस हेतु –	रू0	
	(ii) पशु बीमा हेतु –	रू0	
	(iii) पशुशाला निर्माण हेतु –	रू0	
	(iv) परिवहन व्यय हेतु –	रू0	
	दावा की गयी कुल अनुदान राशि –	रू0	
14	परियोजना से संबंधित अन्य कोई जानकारी–		

अतः हम अनुरोध करते हैं कि उपर्युक्त उद्यमकर्त्ता के लिये राशि अनुदान के रूप में रू..............................

(...) मात्र विमुक्त किया जाय।

स्थान : ....

दिनांक : ....

अनिवार्य अनुलग्नक–

(i) पशु क्रय प्रतिवेदन। (ii) पशु आपूर्तिकर्त्ता का रसीद। (iii) पशु चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। (iv) पशु बीमा रसीद टैग नम्बर सहित। (v) लाभूक का स्थापित किये गये Asset के साथ रंगीन फोटो।

बैंक के शाखा प्रबंधक का सील एवं हस्ताक्षर
(वित्त पोषक बैंक)

पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (समग्र भैंस पालन योजना)

जिला का नाम– दिनांक

पशु आपूर्तिकर्ता का नाम एवं स्थान का नाम (राज्य के बाहर/राज्य के अंदर)–

1 भैंस क्रेता का नामः ....

2 पिता/पति का नामः..

3 क्रेता का पताः
ग्रामः .... पोस्टः ....
थानाः .... प्रखण्डः ....
जिलाः .... मो./दूरभाष संख्याः ....

4 वित्तीय संस्था का नाम (बैंक)/स्वलागतः ....

5 पशु का पहचान चिन्ह (डाटा इयर टैग न.): ....

6 पशु की जाति/नस्लः ....

7 पशु का लिंगः .... रंगः .... अन्य चिन्हः ....

8 पशु का उम्रः .... वर्षः .... महीनाः ....

9 पशु की उँचाईः .... फीटः .... ईंचः ....

10 पशु की लम्बाईः .... फीटः .... ईंचः ....

11 बियान की संख्याः ....

12 पशु क्रय की तिथिः ....

13 पशु का अनुमानित मूल्यः ....

पशु चिकित्सक का हस्ताक्षर

कार्यालय का नाम एवं मुहर–

पशु चिकित्सक का नाम–

पशु चिकित्सक का मो. न.–

समग्र भैंस पालन योजना वित्तीय वर्ष 2025–26
स्वलागत से अनुदान की राशि जारी करने हेतु दावा विपत्र (2 प्रति में)

सेवा में,

जिला गव्य विकास पदाधिकारी.......................................

....ईकाई की स्थापना हेतु अनुदान निर्गत करने के लिए दावा विपत्र के संबंध में।

1	लाभार्थी का नाम–	
	पिता/पति का नाम –	
2	ग्राम–	पोस्ट –
	थाना –	प्रखंड –
	पंचायत –	जिला –
3	कोटि – (सामान्य/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनु0जाति /अनु0जनजाति..	मो. न.–
4	स्थापित परियोजना का नाम एवं इकाई का आकार –	
5	बैंक/शाखा का नाम –	
	बैंक का IFSC Code-	
	लाभुक का खाता संख्या–	
6	परियोजना पर कुल लागत व्यय –	₹
7	लाभुक द्वारा वहन किया गया राशि –	₹
8	नियमानुसार परियोजना हेतु अनुदान राशि का दावा	
	भैंस हेतु –	
	पशु बीमा हेतु –	₹
	पशुशाला निर्माण हेतु –	₹
	परिवहन हेतु –	₹
	साज–सज्जा हेतु –	₹
	दावा की गयी कुल राशि –	₹
9	योजना की प्रगति –	

अनुरोध है कि अनुदान की राशि ₹...

विमुक्त करने की कृपा की जाय।

आवेदक का हस्ताक्षर

भैंस का क्रय प्रतिवेदन (समग्र भैंस पालन योजना)

कार्यालय का नाम– बैक का नाम/स्वलागत– दिनांक

क्रं.	भैंस का विवरण	नस्ल	उम्र	रंग	पहचान चिन्ह का विवरण	भैंस का स्वास्थ्य	दूध की मात्रा (कि.ग्रा.)				भैंस का मूल्य (रू.)	बीमा का विवरण टैग नम्बर सहित	अभ्युक्ति (डाटा ईयर टैग नं.)
							1	2	3	4			
							प्रथम दुहाई	द्वितीय दुहाई	तृतीय दुहाई	औसत दुहाई			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

लाभूक का नाम–
पिता/पति का नाम–
ग्राम/मु0–
पोस्ट–
थाना–
प्रखण्ड–
जिला नाम–
मो0/दूरभाष संख्या–

मैं अपने पसन्द का दूधारू मवेशी क्रय कर रहा/रही हूँ।

भैंस का स्वास्थ्य परीक्षण मेरे द्वारा किया गया।
मवेशी स्वस्थ एवं निरोग है। क्रय की अनुशंसा की जाती है।

पशु चिकित्सक का हस्ताक्षर एवं मुहर
मो. सं.

लाभान्वित का हस्ताक्षर

जिला गव्य विकास पदाधिकारी
या उनके प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

बैंक प्रबंधक
या उनके प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

बीमा पदाधिकारी
या उनके प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि क्रय किये गये भैंस को डाटा ईयर टैग लगा दिया गया है।

जिला गव्य विकास पदाधिकारी
या उनके प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

शपथ पत्र

समक्ष,

जिला गव्य विकास पदाधिकारी

....

मैं, ...

पिता/पति का नाम –

ग्राम –

पोस्ट –

प्रखंड –

जिला –

सघर्म एवं निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ कि –

1. मैं बैंक द्वारा/स्वलागत वित्त पोषण के तहत समग्र भैंस पालन योजना वित्तीय वर्ष 2025–26 में डेयरी इकाई स्थापित करना चाहता/चाहती हूँ।

2. मैं समग्र भैंस पालन योजना के तहत मवेशी का क्रय जिला के अधिकृत आपूर्त्तिकर्त्ता/राज्य के बाहर के अधिकृत आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा क्रय समिति के समक्ष करने को तैयार हूँ।

2. मैं समग्र भैंस पालन योजना के तहत क्रय की गई मवेशी को तीन वर्ष के अन्दर बेच देता हूँ तो मेरे उपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

3. मैं पशुशाला का निर्माण हो जाने के पश्चात् जिला के अधिकृत आपूर्त्तिकर्त्ता/राज्य के बाहर के अधिकृत आपूर्त्तिकर्त्ता से योजनानुसार मवेशी क्रय कर, मवेशी क्रय प्रतिवेदन, मवेशी का फोटो, आपूर्त्तिकर्त्ता का रशीद, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, शेड निर्माण विपत्र, शेड का फोटो एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति सभी कागजात की प्रति बैंक/कार्यालय को उपलब्ध कराऊँगा/कराऊँगी।

4. मैं विभागीय राज्यादेश के अनुसार डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए तैयार हूँ।

5. मैंने विगत तीन वर्षों में इस योजना के तहत गव्य विकास कार्यालय, .../गव्य विकास निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं से अनुदान की राशि प्राप्त नहीं किया है।

6. उपरोक्त कथन के विरूद्ध कार्य करने पर मेरे उपर कानुनी कार्रवाई की जा सकती है, जो मुझे मान्य होगा।

पहचान कर्ता का हस्ताक्षर | शपथ कर्ता का हस्ताक्षर

महिला सशक्तिकरण एवं स्वरोजगार हेतु
गव्य विकास की योजनाएं अपनायें।

भैंस पालन – सुख, समृद्धि और सम्मान

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, गव्य विकास निदेशालय, बिहार सरकार
Website: https://state.bihar.gov.in/ahd I https://dairy.bihar.gov.in
Email: directordairy@gmail.com
Phone : 94710 07445 I Toll Free : 1800 345 6681
@BiharAFRD